मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

203

एफ क्रमांक सी5-3(अ)84/3/1 भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर, 1984

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:- मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 -नियम 19- सम्पत्ति के विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में ।

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 19 के अन्तर्गत शासकीय सेवक व्दारा चल-अचल सम्पत्ति के विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान है । इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 1933-1505-1/3,660 दिनांक 27 अगस्त, 1960 व्दारा अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के लिये फार्म निधारित किया गया था । उक्त फार्म में शासकीय सेवकों व्दारा धारित अचल सम्पत्ति एवं उससे होने वाली आय का विवरण निर्दिष्ट समय में निर्दिष्ट अधिकारी को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश हैं । शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ शासकीय सेवक निर्धारित प्रपत्र में पूर्णरूपेण एवं स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं करते है । आपसे निवेदन है कि कृपया अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/ अधिकारियों से नियमों/ निर्देशों में उल्लिखित निर्दिष्ट अवधि में अचल सम्पत्ति के पूर्ण विवरण (जिसमें उनकी कृषि से होने वाली आय का भी स्पष्ट उल्लेख हो) प्रस्तुत करने संबंधी आवश्यकता का कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

(के.एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग